निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 36 / 2020 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांक :– 05.03.2020
निर्णय दिनांक :– 08.10.2021

उनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
2. हरिशंकर पुत्र रतनलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
4. सीता बाई पुत्री रतनलाल
5. निर्मला बाई पुत्री रतनलाल
6. जमना बाई पुत्री रतनलाल
7. भंवरलाल पुत्र रामकल्याण
8. श्रवण कुमार पुत्र रामकल्याण
9. शिवप्रसाद पुत्र रामकल्याण
10. दीनदयाल पुत्र रामकल्याण
11. सुन्दर बाई पुत्री रामकल्याण
12. द्रोपदी बाई पुत्री रामकल्याण
13. चन्द्रकलां पुत्री रामकल्याण जातिगण नाथ निवासीगण बामली तह. बारां।

बनाम

1. सुनिता बाई पत्नी रामकिशन जाति नाथ निवासी बामली तह. बारां

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 08.10.2021

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट – वादी

ग्राम बामली तहसील बारां में खसरा नं. 431 रकबा 1.45 है. व खसरा नं. 506 रकबा 2.43 है. कुल 2 किता रकबा 3.88 है. भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रस्तुत वाद में आगे विवादित भूमियों के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि संवत 2070 से 2073 जमाबंदी में रतनलाल, रामकल्याण पुत्र धूलीनाथ 1/2 बद्रीलाल पुत्र बंशीलाल 1/4 व बाबूलाल पुत्र मोतीलाल 1/4 के नाम बांट बराबर से दर्ज थी। इंतकाल नं. 714 दिनांक 20.03.2012 विरासत का इंतकाल म[illegible]लाल के स्थान पर वादी क्रम 1 ता 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

पर महावीर नाबालिंग दत्तक पुत्र व बिमला बाई सुमित्रा बाई व बादाम बाई का नाम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व बाबूलाल के वारिसान का नाम बांट बराबर से दर्ज हुआ तथा वादीगण व बाबूलाल अथवा उसके वारिसान के मध्य कभी बंटवारा नही हुआ। सभी यह खातेदार शामलात रूप से भूमिया काश्त करते चले आ रहे है।

का नाम बांट बराबर से दर्ज हुआ। इसी प्रकार इंतकाल नं. 852 से मृतक बाबूलाल के स्थान

प्रतिवादनी ने बिना बटवारा करवाए बिमला बाई सुमित्रा बाई पुत्रीयां बाबूलाल व बादाम बाई बेवा बाबूलाल का प्रत्येक का 1/16 1/16 कुल 3/16 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बयनामादिनांक 05.07.2019 से बिना बंटवारा करवाए खरीद लिया यह रजिस्टर्ड बयनामा बिना वादीगण की सहमति के करवाया है। जिससे वादीगण सहमत नही थें। इस प्रकार प्रतिवादनी एक अजनबी केता है तथा अजनबी केता को बिना बटवारा करवाए भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रवेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है तथा रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर इंतकाल नं. 150 दिनांक 29.08.2019 को अपने नाम भी दर्ज करवा लिया तथा 3/16 हिस्से पर प्रतिवादनी का नाम दर्ज हो गया। किन्तुत बिना बंटवारा नाम दर्ज हुआ है। इस कारण प्रतिवादनी को बिना बटवारा वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर काश्त करने का अधिकार नही है।

दिनांक 19.12.2019 को प्रतिवादनी विवादित आराजी पर अपने सहयोगीयो के साथ आयी और वादीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में खडी फसल को मै ही काटकर ले जाउगी। जो मुझे रोकगा उसको जान से मार दूंगी। वादीगण ने समझाने का प्रयास किया तो मारने व पीटने पर आमादा हुए। बामुश्किल वादीगण ने प्रतिवादनी को वापस भेजा। फिर भी प्रतिवादनी वादीगण को धमकी देकर गयी है कि मै फसल काटकर ले जाकर रहूगी। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु वादीगण प्रतिवादनी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद कारण दिनांक 19.12.2019 को प्रतिवादनी द्वारा वादीगण को विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने धमकी देने पर ग्राम बामली तह. बारां में पैदा हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर जार्ये वादीयां को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादिया बावजुद सूचना के न्याया. में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बामली सम्वत 2070-73 खात सं. 150 नकल नामा. प्रपत्र (प-21) ग्राम बामला पेश किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बामली संवत 2070-73 खाता सं. 150 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू1 चन्द्रमोहन का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तह. बारां में स्थित है। जो रतनलाल रामकल्याण पुत्र धूलीनाथ हिस्सा 1/2 बद्रीलाल पुत्र बंशीलाल हिस्सा 1/4 व बाबूलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज थी। रतनलाल की मृत्यु के बाद वादी कम 1 ता 6 तथा रामकल्याण की मृत्यु के बाद वादी कम 7 ता 13 का नाम दर्ज हुआ तथा मृतक बाबूलाल के स्थान पर महावीर नाबा. दत्तक पुत्र व विमला बाई सुमित्रा बाई एवं बादाम बाई का नाम दर्ज हुआ तथा व बाबूलाल के वारिसान के मध्य कभी बटवावारा नही हुआ। सभी सह खातेदार शामलाती भूमि पर काश्त करते चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

आ रहे है। विमला बाई सुमित्रा बाई पुत्रीया बाबूलाल बादाम बाई बेवा बाबूलाल द्वारा अपना हिस्सा 3/16 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 05.07.2019 को बिना बटवारा कराए भूमि का बेचान कर दिया गया है। जिससे वादी सहमत नही है। रजि. विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। प्रतिवादनी को बिना बटवारा कराये विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर काश्त करने की अधिकारी नही है। वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादनी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तु नकल जमाबंदी ग्राम बामली सम्वत् 2070–73 खात सं. 150 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादनी के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। नकल नामांतकरण प्रपत्र (प–21) के अनुसार मुता. रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार विमला बाई सुमित्रा बाई बादाम बाई के हिस्सा 03/16 पर केता सुनीता बाई का नाम दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामली शामलाती खातेदारी की थी। खातेदार विमला बाई सुमित्रा बाई बादाम बाई द्वारा अपना हिस्सा 3/16 प्रतिवादनी की जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है। परन्तु विवादित भूमि का बटवारां नही हो रहा है। जिससे यह नही कहा जा सकता कि विवादित भूमि प्रतिवादनी की कहा और किस खसरा नम्बर में है। जब तक भूमि का बटवारां नही हो जाता तब तक अपनी अपनी भूमि का पता नही लगाया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादनी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें इस प्रकार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का ~~वाद~~ पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तह. बारां की आराजी ख.नं. 431 रकबा 1.45 है. एंवं ख.नं. 506 रकबा 2.43 है. कुल 2 किता रकबा 3.88 है. में वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें। तद्अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

		निर्णय दिनांक 8.10.21
...ख्या 36/20	धारा अंतर्गत 188 RTA	
...स - श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. B.L. Jain	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1- चन्द्रमोहन पुत्र - रतनलाल 2. हरिशंकर पुत्र - रतनलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र - रतनलाल 4. सीताबाई पुत्री - रतनलाल
5. निर्मलाबाई पुत्री रतनलाल 6. जमनाबाई पुत्री रतनलाल
7. मदनलाल पुत्र रामकल्याण 8. अनूप कुमार पुत्र रामकल्याण
9. शिवप्रसाद पुत्र रामकल्याण 10 दीनदयाल पुत्र रामकल्याण
11. कुन्दबाई पुत्री रामकल्याण 12 द्रोपदीबाई पुत्री रामकल्याण
13 चन्द्रकला पुत्री रामकल्याण जाति जाट निवासीगण कानली तह० बारां

बनाम

पुनीता बाई पत्नी रामनिवास जाति जाट नि० कानली तह० बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिवादिनी आराजी वाके ग्राम कानली तह० बारां की आराजी ख.नं. 453 रकबा 1.45 हे. ख.नं. 506 रकबा 2.43 हे० कुल 2 किता रकबा 3.88 हे० में वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें।

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
साथ ही नियमानुसार ....
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.10.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner